राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3118/2024

बजरंग जाखड़

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, भू–अभिलेख, जिला झुन्झुनू।
4. धीरेन्द्र, नायब तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री दयाराम भास्कर, अधिवक्ता,

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 15.10.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण नायब तहसीलदार, बुहाना, जिला झुन्झुनू से नायब तहसीलदार, नवलगढ, जिला झुन्झुनू के पद पर किया गया है।
2. निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द शर्मा उपस्थित है। उन्होंने राजस्व मण्डल द्वारा पारित किया गया नवीन आदेश दिनांक 28.10.2024 प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का पूर्व में उपरोक्त प्रकार से किये गये स्थानान्तरण की इस अधिकरण के स्थगन आदेशों की पालना में निरस्त किया गया है।
3. चूंकि वर्तमान में अपीलार्थी का आलोच्य आदेश निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में अपील सारहीन हो जाती है। भविष्य में अपीलार्थी के सम्बन्ध में कोई नवीन आदेश पारित किया जाता है तो अपीलार्थी उसे उचित आधारों पर चुनौती देने के लिये स्वतंत्र रहेगा। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)